

भाग-3
(संबंधित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14	स्थल जहां की वन भूमि शामिल की गई है। क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हां/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किए गए प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	नहीं
15	क्या वन संरक्षक उप वन संरक्षक के अभिमत से सहमत है। यदि नहीं तो उसका कारण दे।	सहमत है।
16	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में विस्तृत कारणों के साथ अभिमत	महाप्रबंधक, म.प्र.ग्रा.स.वि.प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन ईकाई क्रमांक-2 दमोह के Online प्रस्ताव FP/MP/ROAD/90885/2020 में वन मंडल अधिकारी दमोह द्वारा प्रस्ताव के Online Part-II में की गई अनुशंसा के आधार पर वन मंडल दमोह के परिक्षेत्र सिग्रामपुर के वनकक्ष क्रमांक RF429 एवं RF-437 में प्रस्तावित सिग्रामपुर-कोडाकला-पौंडी से माला मार्ग पर तेलन घाटी के लगभग 1.6 कि.मी क्षेत्र में मार्ग चौड़ीकरण में सीमांकित वनभूमि रकवा 0.179 हेक्टेयर उपयोगार्थ देने की अनुशंसा की जाती है। अंतिम अनुमति के समय निर्देशित शर्तों को मान्य करना होगा।

तिथि:- 27.03/2021
स्थान:- सागर

(अमित कुमार दुबे)
मुख्य वन संरक्षक
सागर वृत्त सागर